की और रीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर P.N. 02-1-2019

आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

4-12-18

न्यायालय :– उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा।

P.N-12- 10-1-2019

नमांतरण अपिल वाद सं0– 12/2016–17

अमीरजान शेख – अपीलकर्ता

बनाम

समीना बीबी

आदेश

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों के तर्क के पश्चात अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया है यह अभिलेख अंचल अधिकारी, गढ़वा के द्वारा नामांतरण वाद सं0 261/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2016 के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	कुल रकबा	मामले से संबंधित
चिरौंजिया	175	1160/1310	1.00	0.20डी0

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विलम्ब के लिए आवेदक की ओर से कालबाधित के बिन्दु पर पक्ष रखते हुए अनुरोध स्वीकार करते हुए यह अपील अंगिकृत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि ग्राम–चिरौंजिया के खाता नं0 175, प्लॉट नं0 1160/1310, रकबा 1.00 एकड़ सोबराती शेख की अकूपेंसी रैयती जमीन थी, जिसपर सोबराती शेख अपने जिवनकाल तक दखल–कब्जें में रहे तथा मालगुजारी देकर रसिद भी प्राप्त किये सोबराती शेख के मरने के उपरांत उनके पॉच लड़के जमालुदीन शेख, आलीम शेख, अलाउदीन शेख, अमीरजान शेख एवं रमजान शेख उनके उताराधिकारी के रूप में दखल कब्जे में आये, अलाउदीन तथा रमजान शेख के वारिसान अपना हिस्सा विकी कर दिये, जिसमें प्रत्येक को 20–20 डी0 हिस्सा प्राप्त था।

अलाउदीन शेख अपने हिस्से की भूमि बदलैन में अलीम शेख को हस्तांतरन कर दिये इस तरह अलीम शेख को 0.40 डी0 जमीन मिला जिसे अलीम शेख ने विकी कर दिये।

अलामुदीन शेख का उक्त खाता प्लॉट में कोई भूमि नहीं बची जो भूमि बची वह अमीरजान शेख का हुआ ।

अचानक अमीरजान शेख को यह जानकारी मिली की बसुरूदीन शेख अलाउदीन के लड़के 0.20 एकड़ भूमि उक्त खाता प्लॉट का समीना बीबी (अपने पत्नी) को विकी कर दिया है, तथा नामांतरण भी करा लिया है। इसके पश्चात जानकारी होने के बाद दोनों पक्षों के बिच 144 का मुकदमा चला, जिसमें प्रत्यार्थीगण अपने पक्ष में आदेश के लिए जिसे जिला एवं सत्र न्यायधिश के न्यायालय में वाद भी दायर किये, जिसका नं0 88/2016 दर्ज किया गया। विद्वान जिला सत्र न्यायधीश गढ़वा के द्वारा 144 के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि वसीरूदीन को उक्त खाता प्लॉट का कोई हक नहीं बचा था क्योंकि उनके पिता ही सारा हक बेच दिये थे, जो भी जमीन बची वह केवल अपीलार्थी का बचा।

Scanned with CamScanner

प्रत्यार्थी का कथन है कि सोबराती शेख को जो हक प्राप्त था, उनके मरने के उपरांत उनके पाँचों लड़कों को मिला अलाउदीन ने अपने जिवनकाल में इस खाता प्लॉट में कोई भूमि विक्रय नहीं किया और न ही किसी से बदलैन किया है। अलाउदीन ने अपने हिस्से के अनुसार 0.20 डी0 भूमि के हक दखल कब्जे में रहकर उसका उपभोग किया तथा उनके मरने के बाद उनका एक मात्र पुत्र वसीरूदीन शेख 0.20 एकड़ भूमि के दखल–कब्जे में रहकर उपभोग करते रहे तथा दैन–महर के एवज में उक्त 0.20 एकड़ भूमि को अपने पत्नी समीना बीबी से विक्री कर दखल–कब्जा दे दिया।

जाँच पड़ताल के बाद गाँव वालों के उपस्थिति में ग्रामीणों से पूछ–ताछ कर अंचल परिसर में आयोजित शिविर में विधि अनुरूप दिनांक 09.07.2016 को अंचल अधिकारी, गढ़वा के द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी का यह कथन कि अलाउदीन शेख ने बदलैन में अपनी भूमि अलीम शेख को दे दिया था यह विलकुल गलत है।

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात अभिलेख का सुक्ष्म अवलोकन किया। उभय पक्ष सोबराती मियाँ के हक को स्वीकार करते है तथा उनके पाँच लड़के होने की बात भी स्वीकार करते है। यह भी स्वीकार करते है कि बसरूदीन शेख अलाउदीन शेख के लड़के है जहाँ तक अलीम शेख के द्वारा 0.20 डी0 भूमि अलाउदीन शेख से हासिल करने की बात कही गई है, उसके प्रमाण में अपीलार्थीयों के द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी के कथन स्वीकार करने का कोई ठोस प्रमाण अभिलेख में नहीं है और न ही न्यायालय में इस संबंध में (बदलैन संबंधित) कोई कागजात भी अपीलार्थी के द्वारा दाखिल किया गया है। चुकि बसरूदीन शेख जो अपने पिता अलाउदीन शेख के एकलौते लड़के है जो अपने दादा सोबराती शेख को हासिल कुल 1.00 एकड़ भूमि के 05वें भाग 0.20 एकड़ भूमि अपने पत्नी समीना बीबी को दैन–महर के एवज में निबंधित केवाला द्वारा दे दिये।

जहाँ तक नमांतरण का प्रश्न है वह कब्जे तथा चल रहे मांग के आधार बनाकर किये जाने का प्रावधान है। निम्म न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिविर में ग्रामवासियों के समक्ष पूछ–ताछ कर तथा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर नमांतरण किया गया है, जिसे किसी भी तरह से अवैध या त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

हक और अधिकार का निर्णय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। यदि अपीलार्थी चाहे तो अपने हक और अधिकार के निर्णय के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

निम्न न्यायालय के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए अपील को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

24.12.18

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

24.12.18

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

Scanned with CamScanner